

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/1199

दिनांक :- 7.9.10

-: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-11 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक: प.22 (18) चि.स्वा./2/10 दिनांक 31.08.10 द्वारा निम्नलिखित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की 20 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित दिनांक से वेतन श्रृंखला 15600-39100 मे ग्रेड पे-6800/- स्वीकृत करने की अनुमति अनुसार एस्पॉर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियमित नियुक्ति दिनांक	20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	20 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. मोहन प्रिया व्यास	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	28-08-54	08-01-81	08-01-01	01-09-06
2	डॉ. मोहिउददीन कुरैशी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	15-09-51	26-03-81	26-03-01	01-09-06
3	डॉ. नवरतन सिंह राजावत	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	07-08-48	13-07-80	13-07-00	01-09-06
4	डॉ. देव कृष्ण शर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	17-08-53	12-04-81	12-04-01	01-09-06
5	डॉ. राजेन्द्र सिधंवी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	15-08-52	05-06-87	05-06-07	05-06-07
6	डॉ. किशन सिंह राठौड	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम	09-12-46	01-06-79	01-06-99	01-09-06
7	डॉ. राधेश्याम बोयत	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	21-08-51	04-09-82	04-09-02	01-09-07 (1 AGI)
8	डॉ. अशोक माहेश्वरी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	06-05-58	03-09-86	03-09-06	03-09-06
9	डॉ. पुरण सिंह राव	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	09-04-52	26-04-82	26-04-02	01-09-06
10	डॉ. कैलाश प्रसाद खाण्डल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	15-06-50	12-07-82	12-07-02	01-09-06
11	डॉ. गंगु जीवाजी परमार	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	30-04-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
12	डॉ. प्रिय दर्शन विजय	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा	06-09-56	30-08-83	30-08-03	01-09-06
13	डॉ. शीला उम्मन	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर	21-07-49	03-04-84	03-04-04	01-09-07 (1 AGI)

1	2	3	4	5	6	7	8
14	डॉ. एस. एल. मून्दडा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तोडगढ	12-11-56	06-10-82	06-10-02	01-09-06
15	डॉ. चन्द्र शेखर शर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अलवर	11-06-51	03-09-86	03-09-06	03-09-06
16	डॉ. लक्ष्मण हरचन्दानी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	17-02-56	10-03-84	10-03-04	01-09-06
17	डॉ. पूरण चन्द तुंगारिया	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	25-07-60	20-11-86	20-11-06	20-11-06
18	डॉ. शिव रतन सिंह राठौड	वरिष्ठ चि. अधिकारी	संयुक्त निदेशक, जोन, कोटा	20-08-48	10-03-83	10-03-03	20-12-06
19	डॉ. राधा मोहन सरार्फ	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु	01-09-54	09-04-81	09-04-01	01-09-06
20	डॉ. रतन सिंह चाहर	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु	10-03-53	31-12-82	31-12-02	01-09-06
21	डॉ. भगवान सिंह मीणा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु	08-08-59	03-09-86	03-09-06	03-09-06
22	डॉ. विद्याधर वर्मा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु	18-12-50	01-07-82	01-07-02	01-09-06
23	डॉ. मोहन लाल खरडिया	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनु	15-05-54	12-07-82	12-07-02	01-09-06
24	डॉ. मधु बाला कुशवाह	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधि., रामपुरा, कोटा	04-06-53	01-07-82	01-07-02	01-09-06
25	डॉ. वासुदेव लोढा	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर	27-02-51	10-03-84	10-03-04	12-12-06
26	डॉ. मदन लाल बारवाल	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधि., बालोतरा, बाडमेर	14-01-57	23-05-84	23-05-04	01-09-06
27	डॉ. सत्येन्द्राचार्य स्वामी	वरिष्ठ चि. अधिकारी	मुख्य चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर	15-08-49	28-05-84	28-05-04	23-09-06
28	डॉ. लता गुप्ता	वरिष्ठ चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधि., रतनगढ, चुरू	11-12-55	25-09-82	25-09-02	01-09-06

उक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1	कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
2	एसीपी की देय तिथि से ठीक 20 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
3	संबंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।
4	उक्त कॉलम में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।

5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदोन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा, कि उनकी पुनः पदोन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।

6 सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज सम्बंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 20 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप सम्बंधित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनर्रक्षित वेतन) नियम-2008 के वेतन श्रृंखला 15600-39100 में ग्रेड-पे 6600 में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

80

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।

दिनांक :- १.१.१०

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/1199
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 3 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 4 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 5 कमाण्डेंट, तीसरी बटालियन, बीकानेर / छठी बटालियन, धौलपुर / कोटा
- 6 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 7 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर तुरन्त डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 8 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर।